राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(कार्यालय–बायोफ्यूल प्राधिकरण)

(तृतीय तल, बी–ब्लॉक, योजना भवन, सी–स्कीम, जयपुर, फोन :2220672, 5188104 फैक्स नं:2224754) E-mail: biofuelraj@rajasthan.gov.in.

क्रमांक : प.6(83)/ग्रा.वि./बी.एफ.ए./नियम/2020–21/337 दिनांकः 23.07.21

आदेश

पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मन्त्रालय, भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 30.04.2019 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा राज्य में **राजस्थान जैव ईंधन नियम – 2019** लागू किये जाकर उक्त नियमों के अधीन राज्य में बायोडीजल के विक्रय हेतु बायोडीजल उत्पादकों, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं का पंजीयन किया जा रहा है। नियमानुसार वर्तमान में बायोडीजल उत्पादकों हेतु अन्यत्र स्थान पर भण्डारण की सुविधा नही है एवं बायोडीजल मोबाईल रिटेल आउटलेटों के टैंक की अधिकतम भण्डारण क्षमता 2000 लीटर है।

इस क्रम में पेट्रोलियम एंव विस्फोटक सुरक्षा संगठन, भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेशों, दिनाांक 21.09.2020, 11.12.2020 एवं 16.06.2021 द्वारा अवगत करवाया गया है कि बायोडीजल विस्फोटक पदार्थ की श्रेणी में नहीं होने के कारण बायोडीजल के भण्डारण एवं परिवहन एवं विक्रय पेट्रोलियम नियम, 2002 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, अतः इस हेतु विस्फोटक लाइसेंस/अनुमति/अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है।

उक्त के मध्यनजर राज्य के समस्त पंजीकृत बायोडीजल विनिर्माताओं एवं पंजीकृत बायोडीजल मोबाईल रिटेल आउटलेटों को बायोडीजल भण्डारण टेंक स्थापित करने हेतु निम्नानुसार अनुमति प्रदान की जाती है–

क्र.सं.	श्रेणी	उद्देश्य	अधिकतम क्षमता
1	पंजीकृत बायोडीजल विनिर्माता	राज्य में बायोडीजल का अन्यत्र स्थानों पर स्वयं के भण्डारण हेतु	जमीन के ऊपर अथवा जमीन के अंदर अधिकतम एक लाख लीटर भण्डारण
2	पंजीकृत बायोडीजल मोबाईल रिटेल आउटलेट	स्वयं के पंजीकृत बायोडीजल मोबाईल रिटेल आउटलेट के पुनर्भरण हेतु	जमीन के ऊपर अथवा जमीन के अंदर अधिकतम तीस किलो लीटर भण्डारण

उक्त अतिरिक्त भण्डारण सुविधा स्थापित करने हेतु अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. पंजीकृत बायोडीजल विनिमार्ताओं द्वारा स्थापित किये जाने वाले अतिरिक्त भण्डारण स्थान आबादी क्षेत्र में नहीं होंगे एवं इस हेतु भण्डारण स्थल पर सुरक्षा के मूलभूत व आवश्यक मानकों की पालना की जायेगी।
2. भण्डारण टैंक स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु बायोफ्यूल प्राधिकरण के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
3. स्टोरेज टैंक हेतु 1000 रू. प्रति कि.ली. की दर से प्रतिभूति राशि बायोफ्यूल प्राधिकरण में संबंधित पंजीकृत कम्पनी/फर्म जमा करायी जानी होगी।
4. सम्बन्धित बायोडीजल मोबाईल रिटेल आउटलेट उस भण्डारण से केवल अपने स्वयं के पंजीकृत मोबाईल रिटेल आउटलेट के टैंक का पुनर्भरण करेगा एवं अतिरिक्त भण्डारण स्थल पर डिस्पेंसिंग यूनिट का किसी भी प्रकार से उपयोग नही करेगा।
5. सम्बन्धित बायोडीजल मोबाईल रिटेल आउटलेट द्वारा स्थापित किये जाने वाले उक्त स्टोरेज टैंक में ATG मय घनत्व प्रणाली स्थापित की जायेगी।
6. संबंधित द्वारा बनाये गये अतिरिक्त भण्डारण से किसी भी प्रकार की रिटेल बिक्री नहीं की जावेगी, ऐसा पाया जाने पर उसके पंजीयन को निरस्त करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(कृष्णा कांत पाठक)
शासन सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
3. जिला रसद अधिकारी, समस्त जिले, राजस्थान।

23/7/2021

सी.ई.ओ. एवं परि. निदे.
बायोफ्यूल प्राधिकरण पदेन
संयुक्त शासन सचिव, ग्रा.वि.वि.